पंजीयन संख्या : 68939/98 अंक - 18, वर्ष 24

ज्ञान तत्त्व

समाज शास्त्र

अर्थ शास्त्र

धर्म शास्त्र

राजनीति शास्त्र

बजरंग मुनि

मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान

ज्ञान यज्ञ परिवार

MARGDARSHAK

457

सत्यता और निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

सम्पादक : बजरंग लाल अग्रवाल रामानुजगंज (छ.ग.)

पोस्ट की तारीख : 30-09-2024

प्रकाशन की तारीख : 16-9-2024

पाक्षिक मूल्य - /- (रूपये मात्र)

अनुक्रमणिका

विविध विषयों पर मुनि जी के लेख

१. स्वतंत्र कार्यपालिका की आवश्यकता :
२. लोकतंत्र का वर्तमान माडल भारतीय व्यवस्था नहीं :
३. ये कैसी स्वतंत्रता जिसमें हमारा मालिक तंत्र है :
४. आन्दोलन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक साथ कैसे :
५. भारतीय संसद में विपक्ष अराजक क्यों? :
६. स्त्री के प्रति सामाजिक सहानुभूति का लाभ ले रहे ब्लैकमेलर :
७. संयुक्त इकाई 'परिवार' के सभी घटकों पर संकट :
८. टूटती परिवार व्यवस्था के खलनायक :
९. स्वतंत्रतापूर्व सामाजिक आरक्षण और अब संवैधानिक दोनों गलत :
१०. कानून निर्माण में अपराधियों की सहभागिता क्यों हो :
११. अव्यवहारिक है बेरोजगारी की वर्त्तमान परिभाषा :
१२. सभ्य समाज में क्या हो विकसित होने की कार्ययोजना :
१३. इस्लामिक तुष्टिकरण से समाज़ को सबसे बड़ा खतरा :
१४. सामाजिक हिंसा के विरुद्ध संतुलनवादी हिंसा का समर्थन :
१५. परिवार की संयुक्त सम्पत्ति, बढ़ाते स्वार्थ और हिंसा का समाधान :

राजनैतिक विषयों पर मुनि जी के लेख

१६. कुछ अधिक सीट आने से देश को डराना उचित नहीं :
१७. बुद्धि का काम डंडे से लेने की जरुरत नहीं :
१८. आतिशी को चुन कर केजरीवाल ने चली चाल :
१९. सत्ता की लालच और अपराधियों से गठबंधन :
२०. वर्तमान परिस्थितियों में कंगना रनौत का बयान ठीक नहीं :
२१. जरुरी है सुरक्षा और न्याय मोदी का संदेश :

२२. ज़ूम पर होने वाले 'चर्चा' कार्यक्रम से :
२३. अपनों से मुनि जी बात :

१. लोकतंत्र के वर्तमान माडल में भारतीय कुछ भी नहीं :

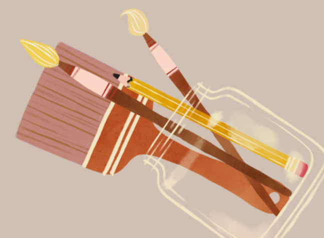

लोकतंत्र कोई भारत का तो है नहीं लोकतंत्र हमने विदेश से लिया है, विदेश में भी लोकतंत्र किसी गंभीर विचार मंथन का परिणाम नहीं था। बल्कि तानाशाही में एक नया प्रयोग हुआ और ग्रीस में तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्र को अच्छा माना गया, वही धीरे-धीरे दुनिया भर में फैला। भारत गुलाम था, इसलिए स्वतंत्रता के समय आंख बंद करके लोकतंत्र को स्वीकार करना, हमारी मजबूरी थी। वास्तव में लोकतंत्र को तानाशाही का विकल्प नहीं माना गया था, बल्कि तानाशाही की तुलना में कम बुरी व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया था। यह कैसा लोकतंत्र है कि जिसकी परिभाषा ही गलत है। 'फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल' कभी दुनिया के समझ में ही नहीं आया। लोकतंत्र ने तानाशाही की जो परिभाषा थी, उसी को बदलकर 'लोक नियुक्त तंत्र' कर दिया, जबकि तानाशाही 'परिवार नियुक्त तंत्र' थी, या 'शक्ति नियुक्त तंत्र'। वास्तव में आदर्श लोकतंत्र तो 'लोक स्वराज' ही हो सकता था, जिसका अर्थ होता है 'लोक नियंत्रित तंत्र'। लोक नियुक्त तंत्र कोई अच्छी परिभाषा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने गुलाम मानसिकता के कारण, पश्चिम की आंख बंद करके नकल की और आज तक हम उसी को ढो रहे हैं। अब भारत स्वतंत्र है, अब भारत को चिंतन मंथन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब भारत को वैचारिक धरातल पर दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। अब भारत को इस बात की शुरुआत करनी चाहिए कि हम तानाशाही का नया विकल्प 'लोक स्वराज' के रूप में प्रस्तुत करें। मेरे विचार से लोकतंत्र को पूरी तरह नकार देना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा अराजकता ही होती है, लोकतंत्र अराजकता का जनक माना जाता है, दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है, वहां अराजकता बढ़ना स्वाभाविक है। आइए हम आप सब मिलकर अराजकता का समाधान खोजें, तानाशाही का समाधान खोजें, तानाशाही का विकल्प तैयार करें। दुनिया को यह बता दें कि हम भारत के लोग वैचारिक धरातल पर दुनिया का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं।

यह लोकतंत्र पश्चिम की नकल है, अपना कुछ नहीं। हमने हर मामले में पश्चिम की नकल की है। बेरोजगारी की परिभाषा भी, हमने पश्चिम की नकल कर के की है। पश्चिम की कुछ किताबें पढ़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता बेरोजगारी की परिभाषा घोषित कर देते हैं। जबकि पश्चिम श्रम अभाव देश है और भारत श्रम बहुल देश है। इसका सीधा संबंध है कि भारत में बेरोजगारी को शिक्षा के साथ नहीं, बुद्धिजीवियों के साथ नहीं, श्रम के साथ जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन हमने अंध नकल करके बेरोजगारी को श्रम के साथ नहीं जोड़ा। मुझे आश्चर्य है कि रवीश कुमार जैसे लोग भी श्रम शोषण की नीतियां बनाते हैं, श्रमजीवियों का मजाक उड़ाते हैं। दूसरी ओर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बेरोजगारी की वही परिभाषा बताते हैं, जो पश्चिमी जगत में तय की है। अब समय आ गया है कि हम पश्चिम के लोकतंत्र की तुलना में, भारतीय लोकतंत्र को आगे लावें। हम रवीश कुमार सरीखे श्रम शोषकों से समाज को सावधान करें। अभी समय है कि रवीश कुमार और उनके चेले बेरोजगारी की वास्तविक परिभाषा बताने की कृपा करें, अन्यथा झूठ बोलना बंद करें।

बताया जाता है कि भारत में लोकतंत्र है। यदि वास्तव में यह लोकतंत्र है तो बहुत ही गंदा लोकतंत्र है। यह कैसा लोकतंत्र है जहां हमारा जनप्रतिनिधि संसद में जाकर भी स्वतंत्रता से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। वह स्वतंत्रता से संसद में वोट नहीं दे सकता। उसे अपने दल के नेता का आदेश मानना ही होगा। यह हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव जीत जाने के बाद, भेड़ बकरी से ज्यादा कितनी ताकत रखते हैं, इन्हें क्या स्वतंत्रता है? बहुत लोग इस लोकतंत्र की बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन लोकतंत्र की इन प्रशंसा करने वालों का अगर इतिहास खोजेंगे, तो यह

कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र की मलाई खाते हुए आपको दिखेंगे। या तो यह मीडिया वाले होंगे अथवा यह सरकारी अफसर होंगे अथवा कोई नेता होंगे अथवा इन्होंने कोई कोई पद्म वगैरह सम्मान प्राप्त किया होगा अथवा यह भी हो सकता है कि कोई सरकार से लाभ पाने की इनको उम्मीद होगी। इसलिए यह दिनभर लोकतंत्र का गुणगान करते रहते हैं, अन्यथा आज तक मैं यह नहीं समझा कि यह कैसा लोकतंत्र है, जहां हमारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी ना समाज में स्वतंत्रता से बोल सकता है ना संसद में। इसलिए हमें फिर से इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा कि वास्तव में लोकतंत्र है क्या। जो दुनिया में दिख रहा है, जो भारत में दिख रहा है, वही वास्तव में लोकतंत्र है या लोकतंत्र कोई इससे भिन्न विचार है।

पश्चिमी जगत में अपराध रोकने को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी गई हैं। पश्चिमी जगत में समाज व्यवस्था को भी मान्यता नहीं है। वहां या तो व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है अथवा सरकार को, जबकि भारत में व्यक्ति के साथ परिवार और समाज को भी मान्यता प्राप्त है। भारत में कैसा लोकतंत्र है कि यहां हमने पश्चिम की इस तरह नकल की कि हमने सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, महिला उत्पीड़न को अपराध मान लिया। जबकि सच बात यह है कि ना तो सारी महिलाएं सही होती हैं ना सारे पुरुष गलत होते हैं। यदि महिला उत्पीड़न अपराध है तो पुरुष उत्पीड़न क्या होगा यह भी विचारनीय है। यदि बाल विवाह को आप अपराध घोषित कर देंगे तो परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था की व्यवस्था में भूमिका क्या रह जाएगी। विवाह किस उम्र में होना चाहिए, इसका निर्णय परिवार करेगा, समाज व्यवस्था करेगी, कानून को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सती प्रथा को हमने अपराध घोषित कर दिया, जबकि मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानकारी है कि बचपन में मेरे परिवार की चार पीढ़ियों की महिलाओं में से कोई सती नहीं हुई थी। हजारों में एक महिला कोई सती होती थी और लाखों में किसी एक महिला को जबरदस्ती सती किया जाता था। यह अपवाद स्वरूप था, ऐसी कोई प्रथा समाज में नहीं थी। लेकिन हम पश्चिम की नकल करने में इतने अंधे हो गए कि हमने सती प्रथा को भी अपराध मान लिया, छुआछूत को भी हमने अपराध मान लिया। जबकि छुआछूत एक सामाजिक बुराई थी और स्वतंत्रता के बाद सबको समान अधिकार प्राप्त हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि संवैधानिक आधार पर कोई अछूत नहीं रहा। मैं फिर से निवेदन करता हूं कि हम इस प्रकार पश्चिम के लोकतंत्र की अंधनकल करने से बचें। भारत में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अपराध होना चाहिए चाहे वह महिला हो या पुरुष, चाहे वह सवर्ण हो या अवर्ण किसी प्रकार का कोई भेदभाव उचित नहीं है, अब हमें अपना भारतीय लोकतंत्र आगे बढ़ाना चाहिए।

हम आदर्श लोकतंत्र और वर्तमान लोकतंत्र की तुलना कर रहे हैं। आदर्श लोकतंत्र में लोक और तंत्र के बीच एक समझौता होता है लोक अर्थात समाज किसी भी अपराधी या व्यक्ति का बहिष्कार तक कर सकता है, दंड नहीं दे सकता, दंड देने का काम तंत्र का होता है, लोक का नहीं। तंत्र का दायित्व है कि वह लोक को सुरक्षा और न्याय दें, यही आदर्श लोकतंत्र है। यह दायित्व पूरे तंत्र का है, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों मिले रहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमने अपराध नियंत्रण का दायित्व तंत्र को दिया है, सरकार को नहीं, हमारे सामने सरकार नाम की कोई चीज अलग से नहीं है। वर्तमान समय में यह जो पक्ष और विपक्ष अपने को अलग-अलग मानकर रहते हैं, यह सब झूठ है। हमने पक्ष या विपक्ष को सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी नहीं दी है। बल्कि सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी संसद की है और संसद से भी ऊपर पूरे तंत्र की है और तंत्र से भी ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की है, क्योंकि संविधान का ही शासन होता है, सरकार का शासन नहीं होता। दुर्भाग्य से हमारे राजनेता पक्ष और विपक्ष में बैठकर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन सत्ता पक्ष है और कौन विपक्ष है, हमने अपने सुरक्षा की जिम्मेदारी आप सबको संयुक्त रूप से दी है और आपको संयुक्त रूप से जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यही आदर्श लोकतंत्र है। वर्तमान भारत में पक्ष और विपक्ष की राजनीति यह लोकतंत्र का विकृत स्वरूप है, इसे लोकतंत्र कहना भी उचित नहीं है।

२. स्वतंत्र कार्यपालिका की आवश्यकता :

हम यह बात सिद्ध कर चुके हैं कि समाज में आई हुई अधिकांश बुराइयों का मुख्य कारण राजनीतिक व्यवस्था में छिपा हुआ है। अब तक हम लोगों को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी सरकार इस कमजोरी को ठीक कर लेगी, लेकिन अब इस तरह की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि बुराइयां राजनीतिक सत्ता में नहीं है बल्कि बुराइयां संवैधानिक व्यवस्था में है। जब तक भारत के संविधान में आवश्यकता अनुसार संशोधन नहीं होंगे, तब तक हम इन बुराइयों को ठीक नहीं कर पाएंगे। किसी भी राजनीतिक सत्ता में अब वह ताकत नहीं है, कि वह संविधान में कोई उचित संशोधन कर सके। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद छोड़कर समाज में जन जागरण करें। अब तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी संघ की लाइन पर चल रहे थे। स्पष्ट है कि संघ ईमानदार, चरित्रवान, राष्ट्रभक्त और अच्छे लोगों को एकजुट करना चाहता है। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में यह संभव नहीं है क्योंकि व्यक्ति तीन प्रकार के हैं एक होते हैं देवता जिन्हें हम अच्छे लोग मानते हैं, एक होते हैं मनुष्य यह स्थिति अनुसार दोनों तरफ ढल जाते हैं और एक होते हैं राक्षस जो हमेशा समाज पर अत्याचार करते हैं। संघ देवताओं को एकजुट करना चाहता है, यह बिल्कुल असंभव हो गया है। अब वर्तमान व्यवस्था में हम लोग निर्णायक पहल करने की सोच रहे हैं। हम अच्छे लोगों को एकजुट नहीं कर रहे हैं, हम बुरे लोगों के खिलाफ सबको एकजुट करेंगे, चाहे वे देवता हों या मनुष्य। हम ईमानदार चरित्रवान लोगों को एकजुट नहीं करेंगे, बल्कि हम यह प्रयास करेंगे कि साम्यवाद सांप्रदायिक इस्लाम और नेहरू परिवार के मिलीजुली ताकत से कौन सी शक्ति मुकाबला कर सकती है। वह शक्ति एकजुट हो जाए, चाहे उस शक्ति में बीजेपी हो या कांग्रेस हो या इसाई हो या सिख हो या अन्य कोई भी क्यों न हों। यदि इस कार्य के लिए साम्यवादी सांप्रदायिक मुसलमान और नेहरू परिवार को छोड़कर कोई मिली जुली सरकार भी बनती है, तो हमें कोई परहेज नहीं है। हम पूरी ताकत लगाएंगे कि अब देश में नक्सलवाद कश्मीरी आतंकवाद फिर से ना पनप सके, भले ही कोई भ्रष्ट और चरित्रहीन ही सरकार क्यों ना आ जाए। हमारा पूरा प्रयास होगा कि समाज में राजनीति निरपेक्ष समाज व्यवस्था मजबूत हो। हम राजनेताओं के पीछे अब आंख बंद करके चलने का समर्थन नहीं करेंगे, हम अब आंख खोल कर नेताओं के साथ खड़े रहे खड़े होंगे। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि हम लोगों को सामाजिक एकता के लिए निरंतर काम करना चाहिए।

३. ये कैसी स्वतंत्रता जिसमें हमारा मालिक तंत्र है ः

हमारे भारत की संवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि हमारा तंत्र चाहे जितना टैक्स लगा दे, हम वह टैक्स देने के लिए बाध्य हैं। हम उस टैक्स पर ना प्रश्न उठा सकते हैं, ना इनकार कर सकते हैं। यहां तक कि हम उस टैक्स पर किसी प्रकार के पुनर्विचार की भी क्षमता नहीं रखते हैं। टैक्स की अंतिम सीमा क्या हो इसके निर्णय में भी तंत्र पूरी तरह स्वतंत्र है। लोक इसकी सीमा में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह कैसा संविधान है कि जो एक तरफ तो संपत्ति को कभी मौलिक अधिकार कह देता है, कभी उसे अधिकार से निकाल देता है, दूसरी ओर वही संविधान तंत्र को असीमित टैक्स लगाने की छूट भी देता है। हमारा तंत्र अपने वेतन भत्ते मनमाने बढ़ा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वही हमारे क्या अधिकार हो, वह हम लोक के लोग तय नहीं कर सकते। तंत्र अपने सारे

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अधिकार स्वयं तय कर सकता है, उसकी सीमा तंत्र स्वयं बना सकता है लेकिन लोक के अधिकार भी तंत्र ही तय करेगा। यह एक गंभीर प्रश्न है कि लोक गुलाम के अतिरिक्त और क्या हैसियत रखता है। जब तंत्र लोक पर मनमाने टैक्स लगा सकता है, और उसकी कोई सीमा नहीं है तो मैं इसे एक गंभीर गलती मानता हूं। हमें इस बात पर अब गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम पर लगाने वाले टैक्स की सीमा क्या हो? तंत्र से जुड़े लोग अपने वेतन में किस हद तक बढ़ोतरी कर सकते हैं और उसमे हम कितना हस्तक्षेप कर सकते हैं? तंत्र के अधिकारों की अधिकतम सीमा क्या हो? वह सीमा कौन निर्धारित करेगा? लोक के न्यूनतम अधिकारों की सीमा क्या हो? यह सीमा कौन निर्धारित करेगा? वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में यह सारी सीमाएं तंत्र निर्धारित करता है, लेकिन आदर्श संवैधानिक व्यवस्था में इन सारी सीमाओं के निर्धारण का अधिकार लोक के पास होना चाहिए।

४. आन्दोलन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक साथ कैसे :

संवैधानिक चर्चा के अंतर्गत आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भारत का संविधान किस तरह हमारे लिए समस्या बन गया है। इस संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को संगठन बनाने की भी छूट दी गई है, दूसरी ओर आंदोलन करने की भी छूट दी गई है। हमारा संविधान बनाने वाले आज तक यह नहीं समझ सके कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आप उन विचारों को क्रियात्मक स्वरूप देने में स्वतंत्र नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे संविधान निर्माता ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दे दी और आंदोलन की भी स्वतंत्रता दे दी। परिणाम यह हुआ कि संगठन बनाकर लोग आंदोलन का उपयोग करने लगे और यह संगठन सारे भारत को ब्लैकमेल करने लग गए। आज धूर्त लोग किसान बनकर जिस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं, महिलाओं के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। धूर्त लोग महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर संगठन बनाकर पूरे समाज को लूट रहे हैं, यह वास्तव में हमारे संविधान की कमी है। लोकतंत्र में आपको न्यायपालिका के माध्यम से अपनी शिकायतों का निपटारा करने का अधिकार है, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। आंदोलन हमारा मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य से संविधान निर्माता व्यक्ति और नागरिक के बीच क्या फर्क है, यह भी नहीं जानते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ भी नहीं जानते, यहां तक कि मौलिक अधिकार की परिभाषा भी हमारे संविधान निर्माता को जानकारी नहीं है। हमारे संविधान निर्माता तो यहां तक अनभिज्ञ है कि उन्हें अपराध और गैर कानूनी का भी फर्क नहीं पता है। यह कैसा संविधान है और यह कैसा लोकतंत्र है। इसलिए समय आ गया है कि हम वर्तमान लोकतंत्र पर और भारत के संविधान पर गहराई से चिंतन करें। उचित है कि हम संविधान में परिस्थितिजन्य संशोधन करें। उचित है कि हम लोकतंत्र का विकल्प खोजें।

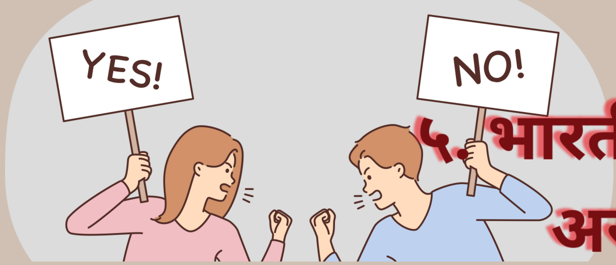

५. भारतीय संसद में विपक्ष अराजक क्यों?:

भारतीय संविधान कितना गड़बड़ है, यह इस बात से पता चलता है कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। जो भी लोग जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वे संसद में पूरी तरह स्वतंत्र होने चाहिए। उनके ऊपर किसी दल का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। स्वैच्छिक रूप से भले ही कोई बंधन माने। पक्ष विपक्ष की राजनीति देश को बहुत नुकसान कर रही है। साथ ही यदि पक्ष और विपक्ष को इस प्रकार मान लिया जाए कि यह दोनों एक दूसरे के विरुद्ध रहेंगे, ऐसा संविधान तो एक क्षण भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। पक्ष और विपक्ष की राजनीति में यह संभव है कि दोनों की नीतियां अलग-अलग हों लेकिन यदि विपक्ष सरकार की किसी नीति के खिलाफ है तो उसे विकल्प भी देना पड़ेगा। आप केवल विरोध करने के लिए विरोध करें, यह लोकतंत्र नहीं है यह तो अराजकता पैदा करने वाला काम है। यदि आप समझते हैं कि इस बजट में कुछ कमियां है तो आप उन कमियां को बता सकते हैं और साथ में आप एक अपना बजट भी बता सकते हैं। नीतियां बिल्कुल आपकी साफ होनी चाहिए और विकल्प युक्त होनी चाहिए लेकिन आप कोई विकल्प न दे सिर्फ आलोचना करें, यह कैसे चलेगा? न्यायालय ओवरलोडेड है, आप केवल यह कह कर नहीं बच सकते कि यह तो सरकार का काम है, वह ठीक करें। हम तो केवल इतना ही कर सकते हैं, कि तत्काल न्याय होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप यह कह सकते हैं कि जजों को भर्ती किया जाए। जज भर्ती करने के लिए पैसा कहां से आएगा, तो बजट में प्रावधान किया जाए। आप बताइए कि बजट में कहां से कटौती की जाए और कहां से न्यायालय के लिए धन जोड़ा जाए यह कौन बताएगा? कैसा लोकतंत्र है कि आप विकल्प बताने के लिए नहीं है, केवल विरोध करने के लिए है। इस गंदे लोकतंत्र को और इस गलत संविधान को हमें संशोधित करने की जरूरत है। अब यह उचित नहीं है, कि आंख बंद करके पश्चिम की गुलामी के आधार पर लोकतंत्र और संविधान इस तरह चलते रहे। अब हम स्वतंत्र हैं और हमें लोकतंत्र और संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है।

६. स्त्री के प्रति सामाजिक सहानुभूति का लाभ ले रहे ब्लैकमेलर :

किस तरह राजनेताओं की मजबूरी का लाभ उठाकर, धूर्त किसान, नेताओं, सरकारी कर्मचारी और मीडिया वाले देश का सारा धन लगभग लूट रहे हैं। आज हम दूसरे विषय पर आते हैं कि किस तरह राजनेताओं को मजबूर करके हमारे परिवार व्यवस्था को लगातार कमजोर किया जा रहा है। इस परिवार कमजोरीकरण में सबसे अधिक भूमिका धूर्त महिलाओं की है। मैं समझता हूं कि पिछले कई सौ वर्षो से हमारे परिवार व्यवस्था में पुरुषों ने महिलाओं को दबाकर रखा। स्वतंत्रता के बाद धीरे-धीरे महिलाएं सशक्त हुई और उन सशक्त महिलाओं में से कुछ धूर्त महिलाओं ने राजनेताओं के साथ मिलकर, पूरे समाज को ब्लैकमेल करना शुरू किया। यह बात स्पष्ट है कि महिलाओं के प्रति समाज में एक सहानुभूति थी, जिसका लाभ इन धूर्त महिलाओं ने उठाया। आज समाज की यह हालत है, कि यह महिलाएं परिवार तोड़ रही हैं। पूरे समाज की सामाजिक व्यवस्था को भी

ब्लैकमेल कर रही है। इन धूर्त महिलाओं को समान अधिकार भी चाहिए और विशेष अधिकार भी चाहिए, यह सब कुछ लूट लेना चाहती है। यह धूर्त महिलाएं इस प्रकार के कानून बनवाती हैं, जिससे समाज में बलात्कार बढ़े और फिर बढ़े हुए बलात्कारों के नाम पर यह सारा देश लूट ले। बलात्कार के नाम पर यह पुरुष वर्ग का अधिक से अधिक शोषण करना चाहती हैं। जब तक इन धूर्त महिलाओं से समाज सावधान नहीं होगा, तब तक हमारी परिवार व्यवस्था बिल्कुल नहीं बचेगी। महिला सशक्तिकरण के नारे ने हमारी सारी सामाजिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया है। महिलाओं को हर क्षेत्र में समान कानूनी अधिकार देकर, इस सारी समस्या का समाधान किया जा सकता था लेकिन ना इन धूर्त महिलाओं की यह इच्छा है और ना राजनेताओं की इच्छा है। इसलिए अब समय आ गया है कि इन मुट्ठी भर महिलाओं से हमारे परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को बचाया जाए। यदि ठीक से सर्वेक्षण किया जाए, तो हमारे भारत में परंपरागत महिलाओं की संख्या 90% से भी अधिक है, आधुनिक और महिला सशक्तिकरण नारा वाली बहुत कम है लेकिन इन आधुनिक महिलाओं में परिवार तोड़क, समाज तोड़क, चरित्रहीन, तलाकशुदा महिलाओं का प्रतिशत परंपरागत महिलाओं की तुलना में बहुत अधिक है। फिर भी यह महिलाएं अपने को समाज का अगुवा सिद्ध करने का प्रयास करती है क्योंकि इन सबको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।

७. संयुक्त इकाई 'परिवार' के सभी घटकों पर संकट :

हम चर्चा करेंगे कि किस तरह हमारे परिवार व्यवस्था को समाप्त करने के लिए युवा सशक्तिकरण के नारे का उपयोग किया जा रहा है। दुनिया जानती है कि किसी परिवार के अंतर्गत कोई व्यक्ति ना महिला होता है, ना पुरुष होता है, ना युवा होता है, ना वृद्ध होता है, परिवार एक संयुक्त इकाई मानी जाती है। जिसके सभी सदस्य सामूहिक रूप से मिलकर निर्णय करते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत प्राचीन समय में हमारे आश्रम व्यवस्था के कारण युवा और वृद्धो में कोई टकराव नहीं था। वृद्ध लोग अपनी उम्र अधिक होते ही अपने बच्चों को धीरे-धीरे सारी जिम्मेदारियां सौंप दिया करते थे। लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, तब हमारे परिवार व्यवस्था में वृद्ध लोगों ने इस आश्रम व्यवस्था को छोड़ दिया। इसका यह नतीजा निकला की परिवार में जेनरेशन गैप हुआ। युवा और वृद्ध के बीच में असंतुलन पैदा हुआ और वृद्धो के खिलाफ युवाओं में आक्रोश बढ़ा। इस समस्या का समाधान न करके, कुछ धूर्त लोगों ने युवा सशक्तिकरण का एक नया नारा समाज में प्रचलित कर दिया। इस युवा सशक्तिकरण के नारे से युवा और वृद्ध इन दोनों पीढ़ियों के बीच टकराव शुरू हो गया और इसका परिणाम हुआ, परिवारों का विघटन। आज भी हम इस बात को साफ-साफ देख सकते हैं कि युवा सशक्तिकरण के नाम पर पूरे समाज को ब्लैकमेल करने की योजनाएं निरंतर बनती रहती हैं। हर राजनीतिक दल युवाओं को अलग संगठित करता है और वृद्धो के अलग संगठन बनाता है। कानून भी युवाओं के लिए अलग और वृद्धो के लिए अलग बनते हैं। उचित तो यह होता कि विधायिका में वृद्ध लोगों को अधिक भूमिका दी जाती और कार्यपालिका में युवाओं की भूमिका अधिक होनी चाहिए थी। लेकिन इस समस्या के समाधान की जगह, ब्लैकमेल करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण, इस व्यवस्था को तोड़ दिया गया। युवा सशक्तिकरण का नारा देकर, हमारी पूरी सामाजिक, पारिवारिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया। समय आ गया है कि इस प्रकार के ब्लैकमेल करने वालों की पहचान की जाए, हमें महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, नहीं परिवार सशक्तिकरण, समाज सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

८. टूटती परिवार व्यवस्था के खलनायक :

हमारे परिवार व्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा, नेहरू परिवार और भीमराव अंबेडकर से। नेहरू परिवार ने हमेशा परिवार को महिला, पुरुष, युवा, वृद्ध में बांट कर देखा। परिवार को एक स्वतंत्र इकाई कभी स्वीकार ही नहीं किया। अंबेडकर ने भी समाज को आदिवासी, गैर आदिवासी, हरिजन, दलित, सवर्ण इस प्रकार के वर्गों में बांटा और परिवार को महिला पुरुष युवा वृद्ध में बांटा। इन दोनों ने कभी पारिवारिक एकजुटता को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह दोनों पश्चिमी सभ्यता के गुलाम थे। इन्हें भारतीय परिवार व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। आप नेहरू परिवार का जीवन भर का आचरण देखें, तो आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि उनकी पारिवारिक व्यवस्था और भारतीय प्रणाली में क्या संबंध है। अब समय आ गया है, कि हम 'पश्चिम की असफल परिवार प्रणाली' को पूरी तरह अस्वीकार कर दें। इसकी शुरुआत हमें नेहरू परिवार से ही करनी होगी, क्योंकि नेहरू परिवार पश्चिम के लोगों को अपने साथ जोड़कर हमारी पूरी की पूरी पारिवारिक व्यवस्था को नष्ट करना चाहता है। वर्तमान में इस परिवार में तीन सदस्य हैं, एक महिला सशक्तिकरण का नारा लगाता है, दूसरा लड़की सशक्तिकरण का नारा लगाता है, तीसरा युवा सशक्तिकरण का नारा लगाते हैं। यह तीनों धूर्त मिलकर कभी परिवार सशक्तिकरण का नारा नहीं लगाते। देश की सारी परिवार व्यवस्था समाप्त हो जाए और उनकी अपनी परिवार व्यवस्था बची रहे, यही इस परिवार का एकमात्र उद्देश्य है।

९. स्वतंत्रतापूर्व सामाजिक आरक्षण और अब संवैधानिक दोनों गलत :

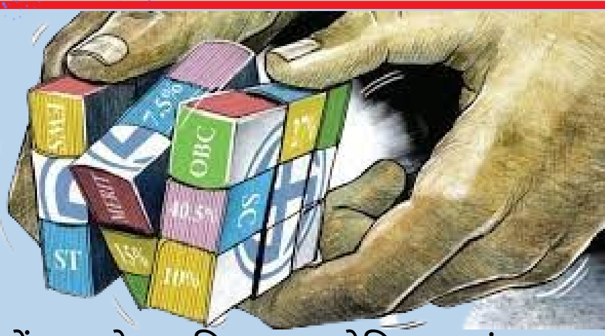

हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हमारी सामाजिक व्यवस्था को किस तरह भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बर्बाद किया। यह सही है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा थी। कुछ मामलों में उस समय सवर्णो ने जातिगत आरक्षण लागू करके अछूतों का शोषण किया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस प्रकार का शोषण पूरी तरह बंद हो गया। जो बच्चे स्वतंत्रता के बाद जन्म लिए, उन सब बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने की अपनी योग्यता अनुसार पूरी स्वतंत्रता थी, लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व की गई गलतियों का लाभ उठाने के लिए भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक षड्यंत्र किया और स्वतंत्रता के बाद भी जातिवाद को जिंदा कर दिया। भारत में आदिवासी, गैर आदिवासी का स्वतंत्रता के पूर्व कोई भेदभाव नहीं था, कोई आदिवासी अछूत नहीं माने जाते थे। लेकिन अंबेडकर ने आदिवासियों और दलितों को एक अलग वर्ग के रूप में संगठित किया और अपने स्वार्थ के लिए स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में बाधाएं उत्पन्न की। आज उसी का परिणाम है कि मणिपुर जल रहा है। उसी का परिणाम भविष्य में होगा कि देश के अनेक प्रदेश इस दलित और आदिवासी संगठनों के कारण सामाजिक एकता को टकराव में बदलेंगे। इस कार्य के लिए कभी भी भीमराव अंबेडकर को माफ नहीं किया जा सकता है। भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक टकराव का एक ऐसा पेड़ लगा दिया है, जो लंबे समय तक जहरीले फल देता रहेगा। जातिगत आरक्षण पूरी तरह श्रम शोषण का सिद्धांत है। अब भारत के मुट्ठी भर संगठित बुद्धिजीवियों को जातिगत आरक्षण रूपी ऐसा हथियार मिल गया है, जिस हथियार से डरा कर वे लोग सात पीढ़ियों तक समाज का शोषण करते रहेंगे।

१०. कानून निर्माण में अपराधियों की सहभागिता क्यों हो :

सामाजिक विषयों पर चर्चा के अंतर्गत हम भारत में आयातित लोकतंत्र की चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र एक मार्ग है लक्ष्य नहीं। लोकतंत्र के माध्यम से ही हमारी राजनीतिक व्यवस्था, अपराध नियंत्रण के प्रयास करती है। दुर्भाग्य से भारत ने पश्चिमी देशों की नकल करते हुए, लोकतंत्र को सिद्धांत मान लिया, कानून को मार्ग मान लिया, और न्याय को भूल गए।
वर्तमान भारत का यदि ठीक से आकलन किया जाए, तो बड़े-बड़े अपराधी संसद में पहुंच रहे हैं, यह अपराधी और गुंडे संसद में जाकर कानून बनाते हैं और हमारी कार्यपालिका उन अपराधी मिश्रित कानून का आंख बंद करके पालन करने के लिए बाध्य है। जहां सरकारी कर्मचारी की योग्यता और नियत का सर्वे किया जाता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी जेल में रह चुका है, कानून तोड़ चुका है, तो उसे सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत होती है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों को निरपराध रहने का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। लेकिन उन सरकारी कर्मचारियों को आदेश देने वाली विधायिका के लोगों के लिए यह प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, कि वह दंडित नहीं हो चुके हैं, जेल में नहीं रह चुके हैं, उन लोगों ने कानून नहीं तोड़ा है। यहां तक कि बार-बार कानून तोड़ने वालों को भी कानून बनाने की छूट मिल जाती है। मैं अभी तक नहीं समझ सका कि कानून बनाने में अपराधियों की भूमिका क्यों होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं, कि संविधान निर्माण में हम अपराधी और निरपराध का कोई परीक्षण नहीं कर सकते। संविधान निर्माण में समाज की योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता, किंतु कानून निर्माण में इस प्रकार के परीक्षण की अनिवार्य आवश्यकता होनी चाहिए। मेरे विचार से यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी बुराई है कि कानून निर्माण में निर्माता की किसी प्रकार की योग्यता का कोई परीक्षण नहीं किया जाता। अब ऐसे लोकतंत्र में बदलाव करने की जरूरत है।

११. अव्यवहारिक है बेरोजगारी की वर्त्तमान परिभाषा :

पूरी दुनिया में बेरोजगारी घटने बढ़ने की चर्चा बार-बार होती रहती है। मैंने कई बार इस विषय पर चर्चा की तो मुझे बेरोजगारी की परिभाषा बताने वाला अब तक कोई नहीं मिला। मैंने गूगल पर भी खोजा तो बेरोजगारी की सही परिभाषा नहीं मिली। जो भी परिभाषाएं मिलती हैं, वे सब गलत है, अव्यावहारिक है। मेरे विचार से बेरोजगारी की सिर्फ एक परिभाषा होनी चाहिए और वह यह हो सकती है कि किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा घोषित न्यूनतम श्रम मूल्य पर योग्यता अनुसार कार्य का अभाव। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, लेकिन बेरोजगारी की गलत परिभाषाओं के कारण बेरोजगारी शब्द का व्यापार किया जा रहा है। भारत में भी अनेक लोग बिना समझे बेरोजगारी घटने बढ़ने का प्रचार करते रहते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भारत में बेरोजगारी है ही नहीं। बेरोजगारी शब्द के साथ अनेक धूर्तों ने शिक्षित बेरोजगारी शब्द भी जोड़ दिया है, जो पूरी तरह श्रम शोषण का सिद्धांत है। कोई व्यक्ति शिक्षित होने से बेरोजगार नहीं हो सकता। यदि बेरोजगारी पर चर्चा करने वालों से पूछा जाए कि रोजगार का अर्थ

सरकारी नौकरी है अथवा रोजगार। उनसे यदि यह पूछा जाए कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की बौद्धिक योग्यता का विस्तार है अथवा रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है या नौकरी के साथ जुड़ा हुआ है। रवीश कुमार सरीखे लोग दिन-रात नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। पकौड़ी तलने को रोजगार नहीं मानते, रिक्शा चलाने को रोजगार नहीं मानते, वे तो कृषि रोजगार, श्रमिक रोजगार का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं। रवीश कुमार अकेले नहीं है हर कम्युनिस्ट इसी प्रकार सरकारी नौकरी को रोजगार समझता है। मेरे विचार से यह दृष्टिकोण पूरी तरह गलत है। मैं तो यह मानता हूं कि सरकारी नौकरियों का भी वेतन घटाकर बाजार मूल्य पर कर दिया जाए, बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी बढ़ने का प्रचार करना, पूरी तरह असत्य है क्योंकि आम लोगों में भ्रम फैलाने के लिए किसी अव्यावहारिक परिभाषा के आधार पर बेरोजगारी के आंकड़े तैयार किया जा रहे हैं।

१२. सभ्य समाज में क्या हो विकसित होने की कार्ययोजना :

दुनिया में अपने बिस्तार के लिए अलग-अलग संस्कृतियां अलग-अलग तरीकों का प्रयोग करती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति तर्क और विचार मंथन को सबसे अधिक महत्व देती है, हम 'शस्त्रार्थ' नहीं 'शास्त्रार्थ' को आधार बनाते हैं। इस्लामी संस्कृति की एक अलग तकनीक है, वह संगठन शक्ति के आधार पर राज्य को गुलाम बना लेती है और राज्य को अपने साथ जोड़कर ब्लैकमेल करती है। इसाई संस्कृति हमेशा प्रेम, सेवा, सद्भाव, लोभ, लालच इस प्रकार धन को महत्वपूर्ण बनाती है। वह अहिंसक तरीके से लोभ लालच का आधार लेती है। साम्यवादी संस्कृति ईर्ष्या, द्वेष, वर्ग विभेद, “फूट डालो, राज्य करो” की नीति अपनाती है। चारों की अलग-अलग संस्कृतियां हैं। हम भारतीय संस्कृति के लोग, तर्क शक्ति में कमजोर पड़ते चले गए। परिणाम हुआ कि हम गुलाम भी हो गए और बाद में मजबूर होकर हमारे लोगों ने संगठन शक्ति का सहारा लिया, जो उचित नहीं था लेकिन मजबूरी थी। इस्लाम हमेशा संगठन शक्ति के आधार पर बढ़ता रहा। इस्लाम की हमेशा एक तकनीक रही है और वह है, किसी प्रकार महिलाओं को अपने साथ जोड़कर अधिक से अधिक संतान पैदा करो, आबादी बढ़ाओ। सारी दुनिया का मुसलमान इसी आधार पर कार्य करता है। भारत का मुसलमान भी अपने इसी तकनीक पर चलता है। मुसलमान हमेशा अपनी संगठन शक्ति के बल पर राज्य को ब्लैकमेल करता है। मुसलमानों ने हमेशा यही किया, इन्होने गांधी के लड़के को ब्लैकमेल किया, इन्होंने नेहरू परिवार को ब्लैकमेल किया। स्वतंत्रता के बाद मुसलमानों ने अपनी संगठन शक्ति के बल पर नेहरू परिवार का पूरा-पूरा उपयोग किया। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, नेहरू से सांप्रदायिक कानून बनवाते चले गए। आज भी नेहरू परिवार इन मुसलमानों की संगठन शक्ति का गुलाम है। आज भी नेहरू परिवार आंख बंद करके मुसलमान की जनसंख्या बढ़ाओ नीति का समर्थक है। हम ज्ञान यज्ञ परिवार के लोग मुसलमान की इस नीति को संगठन शक्ति के बल पर नहीं, तर्क शक्ति के बल पर हरा देंगे। जल्दी ही आपको हमारे हिंदुत्व की शक्ति का आभास हो जाएगा कि किस तरह तर्कशक्ति के सामने संगठन शक्ति को परास्त किया जा सकता है। हम हिंदुओं को संगठित होने की नहीं बल्कि मुसलमान की संगठन शक्ति की हवा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम एक बार मुसलमान की ब्लैकमेल करने की शक्ति को रोक दें, तो सारी समस्या सुलझ जाएगी।

१३. इस्लामिक तुष्टिकरण से समाज को सबसे बड़ा खतरा :

अब किसी प्रकार के भारत विभाजन का खतरा नहीं है, भारत विभाजन तो स्वतंत्रता के पहले हो चुका है। अब तो भारत को दारुल इस्लाम बनाने का खतरा मंडरा रहा है, जिसका नेतृत्व नेहरू परिवार कर रहा है। आप गंभीरता से विचार करिए कि सारी दुनिया के कई मुस्लिम देशों में ईश निंदा कानून बनाए गए हैं, कभी नेहरू परिवार ने स्वप्न में भी ईश निंदा कानून की आलोचना नहीं की। भारत में भी नेहरू परिवार ने एक षड्यंत्र के अंतर्गत वक्फ कानून बना दिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति की अगर संपत्ति ले ली जाए तो वह व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति न्यायालय तक जा सकता है। लेकिन हमारे तथाकथित मुस्लिम भक्त लोगों ने एक ऐसा वक्फ कानून बना दिया। जिसके अंतर्गत मुस्लिम बफ्फ़ बोर्ड किसी भी संपत्ति को यदि अपनी घोषित कर दे, तो संपत्ति का मालिक किसी न्यायालय में अपील नहीं कर सकता, वह संपत्ति उस बोर्ड की दया पर निर्भर हो जाएगी। हमें आश्चर्य होता है, कि भारत में ऐसा शरिया कानून भी बनाया गया और उस शरिया कानून को बनाने वाले नेहरू परिवार के लोग थे। इस परिवार ने लगातार इस शरिया कानून को मजबूत किया और आज भी बड़ी बेशर्मी से उस परिवार के लोग उस कानून के पक्ष में खड़े हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वक्फ कानून प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, किसी भी दृष्टि से भारत को दारुल इस्लाम बनाने के अतिरिक्त किसी और नीयत से नहीं बनाया गया लगता है। इस कानून को बनाने का औचित्य क्या था और इस कानून को बनाए रखने की वकालत क्यों की जा रही है, इस सम्बन्ध में गंभीर चर्चा करने की जरूरत है।

१४. सामाजिक हिंसा के विरुद्ध संतुलनवादी हिंसा का समर्थन :

अभी समाचार मिला कि इसराइल ने आतंकवादी हमले और हिजबुल्ला मुसलमान पर निर्णायक बढ़त प्राप्त कर ली है। इनके खूंखार मुस्लिम आतंकवादी लगातार मारे जा रहे हैं, यह सारी दुनिया के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस तरह आतंकवादियों को लगातार समाप्त किया जा रहा है। वर्तमान दुनिया में यदि हम तीन विचारधाराओं पर विचार करें तो दुनिया में इस्लाम, कम्युनिज्म, सावरकरवाद यह हिंसा के समर्थक माने जाते हैं, हिंदू और इजरायल अर्थात यहूदी यह संतुलनवादी माने जाते हैं और इसाई, बौद्ध, जैन यह शांतिप्रिय माने जाते हैं। वर्तमान भारत में यदि हम ठीक से देखें तो राहुल गांधी और उनके साथी इंडिया गठबंधन के लोग आतंकवादी विचारों के साथ खड़े हैं। दूसरी ओर सावरकरवादी धीरे-धीरे संतुलनवादी विचारधारा नरेन्द्र मोदी, मोहन भागवत के साथ जुड़ रहे हैं। इसाई और जैन भी हिंदुओं के साथ और इजरायल के साथ तालमेल कर रहे हैं।

आप गंभीरता से सोचिए एक 1 वर्ष पहले 7 अक्टूबर को जब इजराइल में जबरदस्ती घुसकर हमास मुसलमान ने 1200 निर्दोष इसराइलियों की हत्या कर दी थी। तब सारी दुनिया के सभी मुसलमानों के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। उस समय सारा मुसलमान समाज चाहे आंशिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्न दिख रहा था, लेकिन जल्दी ही हालात बदल गए। उस समय से लेकर अब तक आतंकवादी मुसलमान को इस घटना की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अभी आगे-आगे देखिए और होता क्या है कि जो भी लोग साम्यवाद और उग्रवादी इस्लाम का समर्थन कर रहे हैं, उन सबको पूरी दुनिया का आक्रमण विरोध झेलना पड़ेगा ही। एक दिन की 7 अक्टूबर की खुशी अगले कई 7 अक्टूबर तक गम में बदलती रहेगी। इसलिए समय आ गया है कि साम्यवाद, इस्लाम और उग्रवादी लोग अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें। यदि अहिंसा की सुरक्षा के लिए अधिकतम हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा तो हम इजरायल के नेतृत्व में उस सीमा तक हिंसक होने के लिए तैयार हैं। हम हिंदू हैं, बौद्ध नहीं, इसाई नहीं हम न्यूनतम हिंसा नहीं हम संतुलित हिंसा के पक्षधर है।

१५. परिवार की संयुक्त सम्पत्ति, बढ़ाते स्वार्थ और हिंसा का समाधान :

हम सामाजिक विषय पर चर्चा करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थ की मात्रा कितनी है कितनी होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि व्यक्ति में स्वार्थ की मात्रा अधिक होगी तो वह व्यक्ति सामाजिक सीमाओं को पार भी कर सकता है, लोभ में भी पड सकता है, अपराध भी कर सकता है और दूसरों का नुकसान भी कर सकता है। यदि व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी, तो प्रगति रुक जाएगी, व्यक्ति प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, वह निर्माण नहीं करेगा और वह जिस हालत में है, इस हालत में संतुष्ट रहेगा। तो विकास और विध्वंस इन दोनों की स्थितियां स्वार्थ के साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए स्वार्थ का संतुलन बहुत आवश्यक माना गया है। यह व्यक्ति में स्वार्थ का संतुलन बनाने का काम ही संस्कार करता है, परिवार करता है, समाज करता है। इस तरह व्यक्ति परिवार, समाज इन सब का एक आपसी अंतर्संबंध होना आवश्यक है। वर्तमान दुनिया में व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की मात्रा बढ़ गई है और इसी स्वार्थ की मात्रा के कारण सारी सीमाएं टूट रही है। इसका समाधान खोजा जाना चाहिए। इन सीमाओं के टूटने का मुख्य कारण पश्चिम की अर्थव्यवस्था है जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकतम अधिकार दिया गया है। दूसरी ओर साम्यवाद है, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति की बिल्कुल स्वतंत्रता ही नहीं दी गई है और एक ऐसी कल्पना की गई है, जो बिल्कुल असंभव है। क्योंकि व्यक्ति का स्वार्थ रहित होना उचित नहीं है इसलिए संतुलन पर एक अंकुश तो हो लेकिन वह अंकुश बाध्यकारी ना हो, बल्कि स्वैक्षिक हो, संस्कार से जुड़ा हुआ हो। इसलिए हम लोगों ने यह तीसरा मार्ग चुना है कि संपत्ति व्यक्तिगत ना हो किंतु वह सरकार की भी ना हो, बल्कि संपत्ति पारिवारिक हो, व्यक्ति संपत्ति शून्य ना हो, बल्कि संपत्ति संयुक्त हो।

१६. कुछ अधिक सीट आने से देश को डराना उचित नहीं :

पिछले दो दिनों में राहुल गांधी ने बहुत प्रसन्न चित्त होकर तीन महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं। पहली बात उनके अध्यक्ष ने यह धमकी दी है कि यदि हमें चुनाव में 20 सीट और मिल जाती तो हम प्रमुख विपक्षियों को अब तक जेल में डाल चुके होते। मैं अभी तक नहीं समझा कि इस प्रकार की धमकी का क्या औचित्य है। यदि 20 सीट उन्हें और भी मिल जाए तो ऐसा कौन सा गणित है कि वह सरकार बना लेंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे सबको जेल में डाल देंगे। मैं अभी तक उस गणित को नहीं समझा, 99 सीट वाला व्यक्ति इतना घमंड करता है, इतना घमंड तो 240 वाला भी नहीं कर रहा है। मेरे विचार से इस प्रकार की धमकी मूर्खता है या तानाशाही की सोच यह एक गंभीर प्रश्न है। दूसरी बात राहुल गांधी ने यह कही कि अब हमारी भारत सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि अब तो चीन भी भारत में घुसना चाहता है। मेरे विचार से ना तो भारत सरकार इतनी कमजोर हुई है और ना ही भारत इतना कमजोर हुआ है। यदि चीन या पाकिस्तान भारत को आंख दिखाना चाहेंगे, तो राहुल के परिवार को छोड़कर बाकी सारा देश एकजुट हो जाएगा। उस समय अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव अथवा उद्धव ठाकरे राहुल की भाषा में नहीं बोलेंगे। राहुल की पूंछ पकड़ कर नहीं चलेंगे, इसलिए राहुल को इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए थी। तीसरी बात राहुल ने यह कही कि 4 जून को 5 मिनट के अंदर हम सब लोगों के मन से नरेंद्र मोदी का डर निकल गया है, अब हम सब लोग पूरी तरह निडर हो गए हैं। मैं मानता हूं कि चार जून के बाद राहुल गांधी ही नहीं उनके कुछ और चमचे भी निडर हुए हैं। उसके पहले जैसा एक नारा था कि ‘नरेंद्र मोदी हैं, तो सब कुछ है’ वह नारा कमजोर पड़ा है। पहली बार है कि मंगेश यादव सरीखे डकैत को भी हमारे देश के कुछ नेताओं का समर्थन मिल रहा है, कश्मीर में भी आतंकवादियों को कुछ प्रश्रय मिल रहा है। राहुल गांधी इस बात को भूल जा रहे हैं कि यदि देश में अराजकता का वातावरण बढ़ेगा, तो अब भारत किसी एक परिवार के प्रधानमंत्री के भरोसे नहीं है। अब तो भारत एनकाउंटर करना भी सीख गया है। यदि नरेंद्र मोदी के कानून से भारत में अराजकता नहीं दबेगी तो हमारे पास इनकाउंटर स्पेशलिस्ट योगी आदित्यनाथ भी विकल्प हैं। हम कानून से हटकर भी अराजकता को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए राहुल और उनके परिवार को यह अराजकता चीन या पाकिस्तान अथवा 20 सीट और मिलने के नाम पर हमारे देश और समाज को डराने की आवश्यकता नहीं है।

'20 सीटें और मिलती तो 400 पार वाले जेल में होते', खरगे ने कहा- आपका कप्तान मजबूत है, डरने की जरूरत नहीं

BY JAGRAN NEWS
EDITED BY NARENDER SANWARIYA

१७. बुद्धि का काम डंडे से लेने की जरुरत नहीं :

आज की चर्चा में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बुद्धि का काम डंडे से ज्यादा प्रभावशाली होता है। दुनिया का मुसलमान बुद्धि के मामले में कमजोर होता है और डंडे के मामले में मजबूत होता है। हमारे सावरकरवादी भी लगभग इसी तरह के होते हैं लेकिन आज इसराइल ने जिस तरह लेबनान के हिजबुल्ला लोगों के पेजर बम का उपयोग किया। वह इस बात को सिद्ध करता है कि बुद्धि, डंडे की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। यह दुनिया के लिए आश्चर्यजनक है कि किस तरह हिजबुल्ला के लड़ाकू के पैकेट में रखे हुए पेजर संवाद यंत्र एक साथ एकाएक फट गए। अवश्य ही ऐसी कोई नई तकनीक खोजी गई होगी, जिसके आधार पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। अमेरिका ने इस घटना से अपने को अलग कर लिया है लेकिन अवश्य ही इसमें इजरायल की बुद्धि हो सकती है, अन्यथा कोई अन्य इतनी तकनीक का उपयोग नहीं कर पाता। ईरानी राजदूत भी इसमें घायल हो गए हैं। 4000 लोग घायल हैं, 400 लोग गंभीर घायल है 10-12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मेरी बात प्रमाणित हो रही है कि बुद्धि डंडे की अपेक्षा अधिक कारगर होती है। मुसलमान के साथ-साथ सावरकरवादियों को भी इस घटना से सबक लेना चाहिए। मैं अपनी पुरानी कही हुई इस बात पर कायम हूं कि भारत में पुराने जमाने से 'बुद्धि यस्य बलम तस्य' शास्त्रों में कहा गया है।

१८. आतिशी को चुन कर केजरीवाल ने चली चाल

राजनीतिक चर्चा के अंतर्गत आज में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिश की नियुक्ति पर चर्चा करूंगा। मैं अरविंद केजरीवाल को बहुत निकट से जानता हूं। मेरा उनका व्यक्तिगत घनिष्ठ परिचय 18 वर्ष पहले हुआ था और हम लोगों की घनिष्ठता उनके मुख्यमंत्री बनते तक बनी रही। आज भी मैं मानता हूं कि भारत में विपक्ष के नेता की सारी योग्यताएं अरविंद केजरीवाल में है। नीतीश कुमार वृद्ध हो चुके हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल ही ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जो इस गरिमामय पद को संभाल सकते हैं। राहुल गांधी तो बिल्कुल ही नासमझ है, इसलिए राहुल की तो तुलना ही नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल में बहुत अच्छी बात करने की भी शक्ति है, प्रभावित करने की भी शक्ति है और धोखा देने की भी सारी योग्यता है। जो किसी सफल राजनेता का आवश्यक गुण माना जाता है। मुख्यमंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को चुना। मैं आतिशी को नहीं जानता हूं क्योंकि उस समय आतिशी से मेरा कोई संपर्क नहीं था लेकिन जो बातें स्पष्ट हो रही हैं, उन बातों से ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत चालाकी से यह निर्णय किया है। अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह समझ गए हैं कि मुझे अब हनुमान जी की पूजा करके ही हिंदुओं को अपने साथ जोड़ना है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल मुसलमान के कुछ खिलाफ भी बोलना शुरू कर दें। दूसरी ओर अतिशी के विषय में जो बताया जा रहा है उसके अनुसार उनके माता-पिता की पृष्ठभूमि एक कम्युनिस्ट की रही है। इतना ही नहीं उन

लोगों ने मिलकर अफजल गुरु की बहुत अधिक कानूनी और सामाजिक सहायता की थी। आज भी बड़ी संख्या में मुसलमान अफजल गुरु के प्रशंसक हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को बनाने के पहले यह बात अवश्य सोची होगी कि आतिशी को यदि बना देंगे तो कम्युनिस्ट हमारे साथ हो जाएंगे और कम्युनिस्टों के तो मुसलमान पिछलग्गू हैं ही। जिधर कम्युनिस्ट जाएंगे उधर मुसलमान जाएगा ही। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने यही सोचकर दांव खेला होगा। मेरा अनुमान यही है। जिस तरह कम्युनिस्ट राहुल के साथ खड़ा दिख रहा है इसके कारण भी अरविंद बहुत चिंतित थे उसका भी अरविंद ने समाधान कर दिया है।

१९. सत्ता की लालच और अपराधियों से गठबंधन :

इंडिया गठबंधन के नेताओं के जैसे-जैसे कारनामे खुल रहे हैं, उससे सारा देश आश्चर्यचकित है। हम पहले से समझते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कम्युनिस्ट, सांप्रदायिक मुसलमान और अपराधियों का गठजोड़ है क्योंकि चाहे मंगेश यादव का एनकाउंटर हो या किसी अतीक अहमद का, इंडिया गठबंधन के हर नेता को बहुत हार्दिक कष्ट होता रहा है। इसका साफ अर्थ था कि तानाशाह कम्युनिस्ट और सांप्रदायिक मुसलमान के साथ तो प्रत्यक्ष रूप से खड़ा था ही लेकिन अपराधियों के साथ इस तरह खड़ा होगा, यह पहले इतनी साफ नहीं थी। यह बात लगातार मालूम थी कि पहले कुछ मुस्लिम दबंग और लुटेरों के साथ इंडिया गठबंधन की हमेशा सहानुभूति रहती थी। इंडिया गठबंधन के अनेक ऐसे बड़े अपराधी नेता इस चुनाव में भी साफ-साफ खड़े किए गए और उनकी दादागिरी के बल पर ही इंडिया गठबंधन कई जगह मजबूत हो सका। लेकिन अब जो घिनौनी तस्वीर सामने आ रही है, वह बहुत चौंकाने वाली है। अभी कुछ दिनों पहले एक मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे। उस मदरसे में और क्या-क्या गंदे कार्य होते थे, वह सब कई दिन पहले ही प्रकाश में आ चुके हैं। लेकिन अब जो नई बात मालूम हुई है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता नकली नोट छापने और अवैध हथियारों की सप्लाई में पकड़े गए हैं। अभी जो रऊफ खान का गिरोह गिरफ्तार हुआ है वह खुद कोराष्ट्रीय स्तर का नेता बताता रहा है। उसके गिरोह के अन्य लोग भी जिला स्तर के नेता हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी और उनके इंडिया गठबंधन के मित्र मुंह में ताला बंद करके बैठे हुए हैं। उन्हें सामने आकर कहना चाहिए कि इस प्रकार के अपराधियों को यदि एनकाउंटर भी कर दिया जाए, तो हमें खुशी होगी, हम अपराधियों के साथ नहीं है। हम सांप्रदायिक तत्वों के साथ नहीं है, चाहे वह सांप्रदायिक तत्व हिंदू हो या मुसलमान, हम सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं। हम हर प्रकार की तानाशाही का विरोध करते हैं, चाहे कम्युनिस्ट ही उसके प्रशंसक क्यों ना हो। लेकिन सत्ता की लालच में इस प्रकार नकली नोट छापने वालों के साथ भी इंडिया गठबंधन खड़ा है, यह बहुत ही कष्ट कारक है। राहुल गांधी इन तीनों समाज विरोधी तत्वों के साथ गठबंधन करके चल रहे हैं, यह हमारे पूरे समाज के लिए बहुत खतरनाक है।

२०. वर्तमान परिस्थितियों में कंगना रनौत का बयान ठीक नहीं :

कंगना रानाउत हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बनी है। उन्होंने यह बात कही है कि कृषि कानून फिर से लागू होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि आंदोलनकारी किसान पेशेवर लोग हैं किसान नहीं, इन्हें बलपूर्वक हटा देना चाहिए। कंगना रनौत ने जो भी बात कही है, वह बिल्कुल सच है। व्यक्तिगत रूप से कंगना रनौत की बात पूरा देश ठीक मानता है। वास्तव में होना यही चाहिए, इन गुंडो को मार भगाना चाहिए। सरकार को कृषि कानून लागू कर देना चाहिए।

फिर भी अगर राजनीतिक दृष्टि से विचार करें तो कंगना रनौत की बात गलत है क्योंकि विपक्ष और भारत सरकार एक ऐसे संवेदनशील आंकड़े के आसपास हैं, जहां जरा-सी भी गलती, सरकार को खतरे में डाल सकती है। एक तरफ राहुल गांधी, कम्युनिस्ट और सांप्रदायिक मुसलमान तीनों मिलकर 48% आबादी को अपने साथ रखे हुए हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समुदाय मिलकर 52% का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई भी हमारी एक छोटी-सी गलती, हिंदुओं में विभाजन का कारण बनती है, तो वह राहुल गांधी के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। इस तरह सामाजिक दृष्टि से कंगना रनौत की बात सही है और राजनीतिक दृष्टि से गलत है। इस संबंध में 'किसी सांसद' को यह बात कभी नहीं उठानी चाहिए और 'किसी नागरिक' को यह बात अवश्य उठानी चाहिए। वर्तमान समय में कंगना रनौत एक सांसद हैं और इसलिए उन्हें राहुल गांधी का अप्रत्यक्ष रूप से मार्ग प्रशस्त नहीं करना चाहिए। समाज के लोगों को भी चाहिए कि वे इस प्रकार की मांग सरकार से करने की अपेक्षा, इंडिया गठबंधन से करें, जो खुलकर ऐसे पेशेवर लोगों के साथ खड़ा है।

वर्तमान भारत की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल तलवार के धार पर है। अगर जरा सी भी गलती होगी तो सामाजिक रूप से बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को सलाह देता हूं कि चाहे किसी भी प्रकार की मांग हो ठीक नहीं। सरकार के सामने किसी भी ऐसी अच्छी मांग को उठाना, जो साम्यवाद, सांप्रदायिक इस्लाम और नेहरू परिवार के गठजोड़ विरोधी शक्तियों में विभाजन करने वाला हो वर्तमान परिस्थितियों में उचित नहीं। बल्कि हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी उचित मांग का विरोध करने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जो गुंडे वहां किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, जो अपराधी तत्व किसान के नाम पर सारे देश को लूट लेना चाहते हैं, उन्हें मार भगाने की सलाह सरकार को देना उचित नहीं है। बल्कि उन गुंडो की मदद करने वाले या उनके पक्ष में आवाज उठाने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने की जरूरत है, विरोध करने की जरूरत है। मेरे विचार से कंगना रनौत की बात सही होते हुए भी भाषा गलत थी। कंगना रनौत को यह कहना चाहिए था कि यह किसान के नाम पर दुकानदारी करने वाले लोगों की जो लोग मदद कर रहे हैं, वह अपराधी हैं, इस प्रकार के मदद करने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इस तरह सरकार सुरक्षित रहेगी और सरकार को बार-बार परेशान करने वाले लोग कटघरे में खड़े होंगे। केवल भाषा बदलने की जरूरत है सरकार से मांग करने की नहीं।

२१. जरुरी है सुरक्षा और न्याय मोदी का संदेश :

Prime Minister Narendra Modi

अभी नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं। इसके पहले भी कई बार दुनिया में उन्होंने अपना संदेश दिया है। नरेंद्र मोदी ने सारी दुनिया का ध्यान इस दिशा में आकर्षित किया है कि वर्तमान समाज को सुरक्षा और न्याय की अधिक जरूरत है। 'समाज सुधार' सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। दुनिया जहां विश्व को यह संदेश देती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय या अन्य अनेक मामलों में समाज की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं भारत संदेश दे रहा है कि हमारी पहली आवश्यकता है सुरक्षा और न्याय। अमेरिका में भी नरेंद्र मोदी ने इस संदेश से दुनिया को सहमत करने की कोशिश की कि जो पूरी दुनिया में आतंकवाद बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, टकराव बढ़ रहा है, यह सबसे अधिक घातक है। बाकी कार्यों को हम अभी किनारे छोड़ भी सकते हैं। यह नरेंद्र मोदी का जो संदेश है, उस संदेश ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है कि दुनिया को शांति चाहिए, सुविधा तो मिलती रहेगी। सुविधाओं की भूख तो हमेशा बनी रहेगी, वह अलग बात है लेकिन सुविधाओं के स्थान पर शांति का महत्व ज्यादा है। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी का प्रशंसक हूं कि उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को दुनिया में पहचान बनाने की कोशिश की है। भारत हमेशा शांति स्थापित करने का पक्षधर रहा है और सुविधाओं के तुलना में शांति को अधिक महत्व देता रहा है। मैं नरेंद्र मोदी के प्रयत्नों की सफलता से संतुष्ट हूं।

२२. ज़ूम पर होने वाले 'चर्चा' कार्यक्रम से :

कल चर्चा कार्यक्रम में हमारा विषय था कि सभी धर्म के मूल में मानव मात्र की एकता के सूत्र खोजे जा सकते हैं किंतु सभी धर्म के बीच टकराव के सूत्र भी कम नहीं होते। यदि ऐसे सूत्र एकता के सूत्र की अपेक्षा अधिक नहीं होते तो आज धर्म के नाम पर हो रहे टकराव इतने व्यापक नहीं होते। धर्म की एक परिभाषा है- 'धारयति इति धर्मः' अर्थात मनुष्य जो धारण करता है या जो गुण उनके धारण करने योग्य हैं, वह धर्म है। व्यक्ति प्रारंभ से ही दो प्रवृत्ति के होते हैं। एक आस्तिक प्रवृत्ति और दूसरा नास्तिक प्रवृत्ति। आस्तिक प्रवृत्ति वालों का विश्वास ईश्वर पर होता है, वह संसार के कल्याण में अपना कल्याण देखता है, वह गुणवाचक धर्म को व्यावहारिक मानता है और उसको आचरण में लाता है। वास्तव में धर्म गुणवाचक ही है वह कर्तव्य पर चलना सिखाता है और संस्थागत चरित्र यानी जनकल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होता है। आस्तिक प्रवृत्ति के लोग धार्मिक माने जाते हैं और जिन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है नास्तिक माने जाते हैं। मनुस्मृति या महाभारत में वर्णित धर्म की परिभाषा में भी ईश्वर शब्द का समावेश नहीं है। धर्म के दस गुण होते हैं। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत आचरण होता है। कुछ लोग या समूह अधार्मिक गुणों को अपनाकर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे लोग विचारधारा में कट्टर होते हैं और दूसरे के लिए हिंसक। क्या ऐसे लोग भी

धार्मिक माने जाएंगे? नहीं, ऐसे व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकते हैं। मंदिर में घंटा बजाने वाले अथवा मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले अपने आचरण में तो धार्मिक दिखते हैं लेकिन यदि उनका व्यवहार समाज के लिए जन कल्याणकारी नहीं है तो वह धार्मिक नहीं हो सकता है, सिर्फ पहचान के लिए उन्होंने धार्मिकता का चादर ओढ़ रखा है। यदि दुनिया के सभी धर्मों का गहराई से अध्ययन किया जाए तो सृष्टि रचना एवं सत्य सनातन धर्म की बातें सब जगह एक समान मिलेगी। सभी धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। ईश्वर की सृष्टि रचना को मानता है और उस सृष्टि में मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है, यह सभी धर्म मान लेते हैं। भले ही उन्होंने इन सृष्टि रचना का अपने-अपने तरीके से व्याख्यान किया है। समस्त जीव जगत एवं प्रकृति का निर्माण, तत्व, सृष्टि की रचना ईश्वर की रचना मानते हैं, ईश्वर की दृष्टि में सब समान है, सब ईश्वर की संतान हैं, इसे मानकर चलने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म अथवा मानव धर्म विश्व बंधुत्व अथवा विश्व भ्रातृत्व का भाव जागृत करता है। कालांतर में इन धर्म भाव में विकृतियां आई और अनेक नए मतवाद एवं संप्रदाय बनते गए। अनेक पंथ एवं परंपराओं का सृजन हुआ। यही पंथ, परंपराएं या संप्रदाय अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के उद्देश्य से एक-दूसरे के प्रति निरादर भाव को बढ़ावा देती है। अपनी धार्मिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए हिंसा के मार्ग को भी अपनाती हैं, धर्म के नाम पर हत्याएं होती हैं, बड़े-बड़े अपराध और दंगे-फसाद होते हैं। मुसलमान सारी दुनिया में इस्लाम स्थापित करना चाहता है। हिंदुत्व समाज विस्तार पर आधारित सामाजिक सामंजस्य चाहता है। पूरी दुनिया में हिन्दू धर्म ही अकेला ऐसा धर्म है जो समाज व्यवस्था पर आधारित है। हिंदुओं में नास्तिक होते हुए भी व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, लेकिन इस्लाम में यह असंभव है, उन्हें धर्म के गुणों से कोई मतलब नहीं होता बल्कि पारंपरिक रूप से उनके कुरान और अल्लाह पर यकीन होना ही चाहिए। सिख, हिंदु, बौद्ध में संगठनवाद है और इस्लाम तो पूरी तरह से धर्म नहीं, संगठनवाद पर आधारित एक कट्टर विचारधारा है। दुनिया में अपने को श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए आपसी होड़ ने धर्म को विकृत कर दिया है। एकता के सूत्र कम और एकाधिकार प्रधान संगठन भाव के सूत्र, टकराव के सूत्र अधिक मिलते हैं। जितने भी दंगे-फसाद हुए उसके मूल में धर्म का विकृत स्वरूप जिम्मेदार है। आज यदि सारी दुनिया भर में अशांति है तो इसकी सबसे बड़ी वजह व्यक्ति की अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। हजारों वर्षों से हिंदू और यहूदी धर्म यदि यथावत चला आ रहा है तो इसका एक ही कारण है कि यहूदियों और हिंदुओं ने धर्म के गुणों को अपनाकर आगे बढ़ना उचित समझा जबकि अन्य मताबलम्वी धर्म के संगठन प्रधान, पहचान प्रधान गुणों को ज्यादा तरजीह देते रहे हैं। सभी जगह एक ही बात देखने को मिलती है और वह है धार्मिक श्रेष्ठता की स्थापना करना। अतः समाज को धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि प्रवृत्तियों के आधार पर दो भागों में बांटकर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है - सामाजिक और समाज विरोधी। इसके अलावे दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

संजय तांती

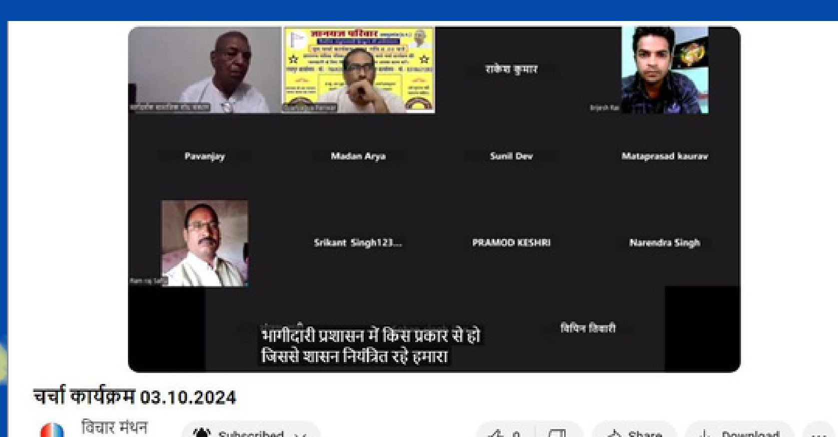

अपनो से मुनि जी की बात

१. जन जागरण के साथी :

हमारी संस्था सिर्फ जन जागरण तक सीमित रहती है, विचार मंथन करती है, विचार प्रचार नहीं। संस्था से हटकर मेरे अपने विचार अलग है। मैं पूरी तरह सांप्रदायिकता के विरुद्ध हूं लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता को अन्य सब की अपेक्षा अधिक घातक मानता हूं। मेरे विचार से यदि हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता आपस में टकराती है तो मैं मुस्लिम सांप्रदायिकता का ज्यादा विरोध करूंगा। इसी तरह मैं साम्यवाद के पूरी तरह विरुद्ध हूं। मैं विचारधारा के रूप में साम्यवाद को गलत मानता हूं। साम्यवाद की जगह यदि पूंजीवाद भी आता है तो मैं साम्यवाद का ही अधिक विरोध करता हूं। मेरा ऐसा भी मानना है कि नेहरू परिवार से भारतीय राजनीति को पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। वैसे तो पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था ही गलत दिशा में जा रही है लेकिन यदि नेहरू परिवार की तुलना में अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार अथवा अखिलेश यादव भी मजबूत होते हैं तो मैं नेहरू परिवार का पूरा विरोध करूंगा यद्यपि अन्य सब लोगों की तुलना में मैं व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ इन तीनों की संयुक्त सरकार का अधिक समर्थक हूं। मैं पूरी तरह श्रम शोषण के विरुद्ध हूं। मैं चाहता हूं कि श्रम की मांग बढ़े, श्रम का मूल्य बढ़े लेकिन यदि बुद्धिजीवियों द्वारा श्रम के नाम पर श्रम शोषण की नीतियां बनाई जाती हैं मैं उन नीतियों के विरुद्ध हूं। अन्य कई मामलों में भी मेरे विचार अन्य लोगों से कुछ अलग हैं। मैं किसी भी प्रकार से वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष का विरोधी हूं लेकिन मेरा भी यह निश्चित मत है कि मैं किसी भी प्रकार के आंदोलन या सक्रियता में शामिल नहीं हूं। मैं विचार मंथन तक सीमित हूं। हम लोगों की संस्था में कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है हमारे यहां व्यक्ति को जोड़ने की पूरी स्वतंत्रता है चाहे धर्म, जाति, महिला-पुरुष, गरीब-अमीर, कांग्रेसी जनसंख्या हिंदू मुसलमान कोई भी क्यों ना हो, यदि कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी हम लोगों की संस्था में जुड़ना चाहता है उसे पूरी स्वतंत्रता है, वह हमारी संस्था के सभी कार्यों से जुड़ सकता है।

१. 'तंत्र मुक्त संविधान युक्त समाज व्यवस्था' का जन जागरण :

हम लोगों ने जीवन भर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सब प्रकार की समस्याओं पर विचार मंथन किया और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि सभी समस्याओं का एक समाधान है 'तंत्रमुक्त संविधान युक्त समाज व्यवस्था'। स्पष्ट है कि यह कार्य दो अलग-अलग तरीके से संपादित होगा। पहले है तंत्र मुक्त संविधान अर्थात लोक स्वराज, इसके लिए हम लोग अलग इकाई के रूप में लगातार कार्य कर रहे हैं। दूसरा कार्य है समाज व्यवस्था, इस दिशा में हम लोग अलग इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं। तंत्र-मुक्त संविधान की दिशा में हमारा दिल्ली कार्यालय सक्रिय है, आदर्श समाज व्यवस्था के रूप में हमारा रामानुजगंज और रायपुर कार्यालय सक्रिय है। धीरे-धीरे देश भर के अन्य कुछ प्रमुख स्थानों पर भी नए कार्यालय शुरू करने की योजना बन रही है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राजनीति मुक्त समाज व्यवस्था को हम लोग प्रोत्साहित करें क्योंकि समाज में आई सभी बुराइयों की जड़ राजनीति से शुरू होती है। जब तक राजनीति पर समाज का नियंत्रण नहीं होगा तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। राजनीति संविधान के अंतर्गत संचालित होती है और जब तक संविधान तंत्र की गुलामी से मुक्त नहीं होता, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। लेकिन संविधान मुक्त होने के बाद भी सामाजिक बुराइयों पर अलग से नियंत्रण करना होगा। इसलिए हम लोग लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि हम दोनों अलग-अलग दिशाओं में सक्रिय होकर जन जागरण करें। हम जन जागरण तक सीमित रहेंगे, किसी भी सामाजिक अथवा राजनीतिक समस्या के लिए या संवैधानिक समाधान के लिए हम किसी तरह का आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन हम इतना जन जागरण करेंगे कि उस जन जागरण के आधार पर विभिन्न समूह केआंदोलनकारी नए-नए आंदोलन खड़े कर सकें। चाहे वह आंदोलन संविधान मुक्ति के लिए हो या सामाजिक सुधार के लिए हो। जिस भी दिशा में इस तरह के आंदोलन खड़े होंगे, हमारे सभी साथी इस प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक आंदोलन में मदद करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से बाहर रहकर अकेला ही यथासंभव जन जागरण करता हूं। मैं जो भी लिखता हूं वह मेरा व्यक्तिगत विचार होता है संस्थागत नहीं। हमारी संस्था से जुड़े हुए लोग आपस में बैठकर योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। उन योजनाओं में मेरी भी सहमति रहती है।

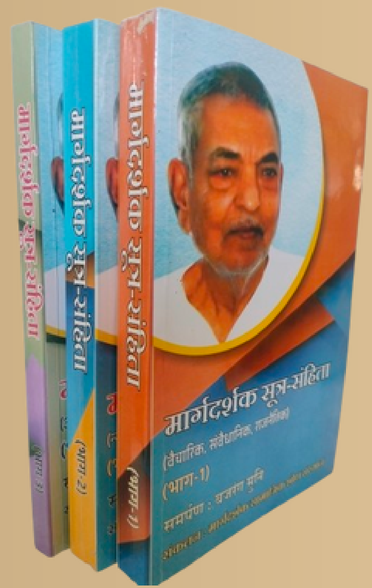

मूल्य १००/= ३ पुस्तक
डाक खर्च सहित
सीमित समय तक

मूल्य 250/= ७ पुस्तक एवं
ज्ञान तत्त्व पाक्षिक पत्रिका
के वार्षिक सदस्यता सहित

मित्रों

७० वर्षों तक अनवरत चलने वाले शोध का सार संग्रह "मार्गदर्शक सूत्र संग्रह" के तीनों भाग ज्ञानयज्ञ परिवार कार्यालय में आ चूका है, और अब आप सब के पास भेजे जाने के तैयार है।

भाग १: वैचारिक; संवैधानिक; राजनैतिक

भाग २: न्यायिक और आपराधिक; सामाजिक; धार्मिक

भाग ३: आर्थिक; व्यक्तिगत; वैश्विक

सदा कि भांति सामाजिक विषयों पर लोगों में जागरूकता एवं रूचि पैदा करने के लिए "मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान" बहुत कम मूल्य पर अपने पाठकों को महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध कराता आ रहा है। आप सभी वैचारिक यात्रा के साथियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि पुस्तक एवं पत्रिका पर अपनी समीक्षाओं से हमें अवगत करते रहें।

ज्ञानेन्द्र आर्य
प्रभारी
ज्ञानयज्ञ परिवार

पत्र व्यवहार का पता
बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बाक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492021
website : margdarshak.info

प्रकाशक, संपादक व स्वामी - बजरंगलाल

9617079344
mail : Support@margdarshak.info